सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **18/2018** दायर दिनाँक **17.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मुल्लाखाँ पुत्र स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र–52साल, 2. इकबालखाँ पुत्र स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र–50साल, 3. रोशनखाँ पुत्र स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र–45साल, समस्त,जाति–भाट मुसलमान, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रहमत पत्नी हकीम पुत्री स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र–40साल, निवासी–मल्लाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. बन्नी पत्नी स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र–87साल, 3. रूकसाना पत्नी मुस्ताक पुत्री स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र–25साल, 4. अयूब पुत्र स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र–30साल, 5. सायरा पत्नी मजीदखाँ, उम्र–55साल, 6. हबीब पुत्र मजीदखाँ, उम्र–35साल, 7. साबीर पुत्र मजीदखाँ, उम्र–26साल, 8. शकील पुत्र मजीदखाँ, उम्र–22साल, 9. बिस्मिला पत्नी उस्मान पुत्री मजीदखाँ, उम्र–28साल, 10. सबीना पुत्री मजीदखाँ, उम्र–24साल, 11. जरीना पत्नी स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–53साल, 12. रफीक पुत्र स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–35साल, 13. जेबुना पत्नी जब्बार पुत्री स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–30साल, समस्त,जाति–भाट मुसलमान, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. माफी पत्नी दाऊद पुत्री

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–25साल, जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादीगण।
2. श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **05.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 के पूर्वजों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में ऊदा का नाम गलत रूप से दर्ज है। इस नाम का कोई व्यक्ति या इनके वारिशान् कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वादग्रस्त खेत पर सदैव से ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 तक के पूर्वजों को ही था तत्पश्चात् उक्त खेत पर चूंकली के वारिशान् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 तक का कब्जाकाश्त था।

चंकली के देहान्त के बाद सहवन से वादग्रस्त खेत के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 का नाम दर्ज नहीं हो सका। इस बात का इल्म वादीगण को नहीं था। इस बात की सदभावी जानकारी खातेदारी की नकल लेने पर हुई और प्रतिवादीगण को रिकॉर्ड दुरस्ती हेतु कहा गया तो जवाब मिला कि उक्त भूमि को बिना रिकॉर्ड दुरस्ती के ही स्टाम्प के जरिये ही उक्त भूमि का बैचाण कर देंगे। इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–18 / 2018
दायर दिनाँक 17.01.2018 निर्णय दिनाँक 05.02.2018
मुन्नाखाँ, वगैरा बनाम् रहमत, वगैरा।

शरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा की सम्पूर्ण खातेदारी में से खातेदार ऊदा पुत्र.....कौम जाट का हटाया जाने की घोषणा व पूर्वज खातेदारी चूकलीया पुत्र ....कौम भाट साकिन सूपका की जगह वादीगण प्रत्येक के अलग–अलग रूप से 1/7 भाग तथा प्रतिवादी 01 के 1/7 तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 तक के 1/7, प्रतिवादीगण 05 ता 10 तक के 1/7 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 तक के 1/7 की खातेदारी घोषित की जाकर तद्नुसार बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से अलग–अलग रूप से घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 15 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। जरिये वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 द्वारा जवाब पेश नहीं होने से जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ।

वाद के समर्थन मे, वादीगण ने शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डीडवाना सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 88/88 खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–01, जमाबन्दी खेवट खतौनी(फार्म 19) सम्वत् 2014–16 तक प्रदर्श–02, खसरा पत्रक प्रदर्श–03, मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–04ए, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। दावा पक्षकारान्, दावा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत मे उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 18/2018
दायर दिनाँक 17.01.2018 निर्णय दिनाँक 05.02.2018
मुन्नाखाँ, वगैरा बनाम रहमत, वगैरा।

—:आदेश :—

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद डीडवाना के खेत खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:—

1. ऊदा पुत्र .... कौम जाट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
2. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का वादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का वादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 10 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. हिस्सा 1/7 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 14 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **23/2018** दायर दिनाँक **17.01.2018**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. मुन्नाखाँ पुत्र स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र—52साल, 2. इकबालखाँ पुत्र स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र—50साल, 3. रोशनखाँ पुत्र स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र—45साल, समस्त,जाति—भाट मुसलमान, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. रहमत पत्नी हकीम पुत्री स्वर्गीय पीरूखाँ, उम्र—40साल, निवासी—मल्लाबासनी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. बन्नी पत्नी स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र—87साल, 3. रूकसाना पत्नी मुस्ताक पुत्री स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र—25साल, 4. अयूब पुत्र स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र—30साल, 5. सायरा पत्नी मजीदखाँ, उम्र—55साल, 6. हबीब पुत्र मजीदखाँ, उम्र—35साल, 7. साबीर पुत्र मजीदखाँ, उम्र—26साल, 8. शकील पुत्र मजीदखाँ, उम्र—22साल, 9. बिस्मिला पत्नी उस्मान पुत्री मजीदखाँ, उम्र—28साल, 10. सबीना पुत्री मजीदखाँ, उम्र—24साल, 11. जरीना पत्नी स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र—53साल, 12. रफीक पुत्र स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र—35साल, 13. जेबुना पत्नी जब्बार पुत्री स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र—30साल, समस्त,जाति—भाट मुसलमान, निवासी—सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		14. माफी पत्नी दाऊद पुत्री स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–25साल, जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादीगण व श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 की ओर से ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद डीडवाना के खेत खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. ऊदा पुत्र .... कौम जाट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
2. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..........

..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.02.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

(सहायक) कलेक्टर
डीडवाना

[illegible]

प्रति.सं. 1 रतन ने अपने मामाओं के बाद
तथा प्रति-3 [illegible] ने अपनी माता व भाई
प्रतिवादी सं. 9 व 10 ने अपनी माता व भाई
" 13 व 14 ने " " "

(लगातार)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **23/2018** दायर दिनॉक **17.01.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मुन्नाखॉं पुत्र स्वर्गीय पीरूखॉं, उम्र–52साल, 2. इकबालखॉं पुत्र स्वर्गीय पीरूखॉं, उम्र–50साल, 3. रोशनखॉं पुत्र स्वर्गीय पीरूखॉं, उम्र–45साल, समस्त,जाति–भाट मुसलमान, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रहमत पत्नी हकीम पुत्री स्वर्गीय पीरूखॉं, उम्र–40साल, निवासी–मल्लाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. बन्नी पत्नी स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र–87साल, 3. रूकसाना पत्नी मुस्ताक पुत्री स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र–25साल, 4. अयूब पुत्र स्वर्गीय जान मोहम्मद, उम्र–30साल, 5. सायरा पत्नी मजीदखॉं, उम्र–55साल, 6. हबीब पुत्र मजीदखॉं, उम्र–35साल, 7. साबीर पुत्र मजीदखॉं, उम्र–26साल, 8. शकील पुत्र मजीदखॉं, उम्र–22साल, 9. बिस्मिला पत्नी उस्मान पुत्री मजीदखॉं, उम्र–28साल, 10. सबीना पुत्री मजीदखॉं, उम्र–24साल, 11. जरीना पत्नी स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–53साल, 12. रफीक पुत्र स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–35साल, 13. जेबुना पत्नी जब्बार पुत्री स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–30साल, समस्त,जाति–भाट मुसलमान, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. माफी पत्नी दाऊद पुत्री स्वर्गीय लालमोहम्मद, उम्र–25साल, जाति–भाट, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाँक 05.02.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री लालसिंह गोदारा, वकील, वादीगण व श्री हरफूल राव, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 की ओर से ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद डीडवाना के खेत खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. ऊदा पुत्र .... कौम जाट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
2. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 01 मुन्ना खां को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 02 इकबाल खां को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 03 रोशन खां को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 व 04 बन्ती व अयूब को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08 क्रमशः सायरा, हबीब, साबीर, शकील को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 जरीना व रफीक को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..................... .–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.02.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–18/2018
दायर दिनाँक 17.01.2018 निर्णय दिनाँक 05.02.2018
मुन्नाखाँ, वगैरा बनाम् रहमत, वगैरा।

शरहद डीडवाना में स्थित खेत खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा की सम्पूर्ण खातेदारी में से खातेदार ऊदा पुत्र.....कौम जाट का हटाया जाने की घोषणा व पूर्वज खातेदारी चूकलीया पुत्र ....कौम भाट साकिन सूपका की जगह वादीगण प्रत्येक के अलग–अलग रूप से 1/7 भाग तथा प्रतिवादी 01 के 1/7 तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 तक के 1/7, प्रतिवादीगण 05 ता 10 तक के 1/7 तथा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 तक के 1/7 की खातेदारी घोषित की जाकर तद्नुसार बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से अलग–अलग रूप से घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे। वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 15 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। जरिये वकील प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 09, 10, 13, 14 ने इकबालिया जवाब पेश किया। इकबालिया जवाब अनुसार प्रतिवादी सं0 01 रहमत अपना हिस्सा अपने भाईयों के नाम, प्रतिवादी सं0 03 रूकसाना अपना हिस्सा अपनी माता व अपने भाईयों के नाम तथा प्रतिवादी सं0 09 व 10 बिस्मिला, सबीना अपना हिस्सा अपनी माता व अपने भाईयों के नाम व प्रतिवादी संख्या 13 व 14 जेबुना, माफी अपना हिस्सा अपनी माता व अपने भाईयों के नाम हकतर्क करते है तथा हमारा नाम खातेदारी से हटाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ।

वाद के समर्थन मे, वादीगण ने शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डीडवाना सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 88/88 खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–01, जमाबन्दी खेवट खतौनी(फार्म 19) सम्वत् 2014–16 तक प्रदर्श–02, खसरा पत्रक प्रदर्श–03, मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–04ए, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् दावानुसार डिक्री चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–18/2018
दायर दिनाँक 17.01.2018 निर्णय दिनाँक 05.02.2018
मुन्नाखाँ, वगैरा बनाम् रहमत, वगैरा।

पक्षकारान् दावानुसार खातेदारी चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। दावा पक्षकारान्, दावा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत मे उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादीगण, दावा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, शरहद डीडवाना के खेत खसरा नम्बर 1841 रकबा 38.16 बीघा का बन्टवारा वाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. ऊदा पुत्र .... कौम जाट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है।
2. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 01 मुन्ना खां को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 02 इकबाल खां को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का वादी संख्या 03 रोशन खां को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 व 04 बन्ती व अयूब को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 08 क्रमशः सायरा, हवीव, साबीर, शकील को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. हिस्सा 1/6 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 11 व 12 जरीना व रफीक को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner